न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

(पीठासीन अधिकारी श्री विश्वामित्र मीना आर.ए.एस.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वाद संख्या :-03/99/2018

1. तरूण वशिष्ठ पुत्र दयानन्द वशिष्ठ जाति ब्राहमण निवासी सी-3/232 टोडर निवास रनबो स्कूल के सामने जनकपुरी दिल्ली हाल निवासी ग्राम रूपबास टहला तहसील राजगढ
2. धर्मसिंह पुत्र गोपीराम जाति मीना निवासी ग्राम दीवली पहाड तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर हाल निवासी रूपबास टहला तहसील राजगढ
3. बाबूलाल पुत्र श्री राकिशन मीना निवासी ग्राम अलेई तहसील राजगढ जिला अलवर हाल निवासी रूपबास टहला तहसील राजगढ
4. संदीप देशवाल पुत्र ईश्वर सिंह देशवाल निवासी 183 वी क्यू शालीमार बाग नई दिल्ली हाल निवासी रूपबास टहला तहसील राजगढ जिला अलवर ....प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब राजगढ जिला अलवरः-अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज0 काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः- 1. प्रार्थी स्वमं

निर्णय दिनांक 01.03.2019

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेंश हुई। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश कर निवेदन किया की हाल आराजी ख0नं0 283/1.64, 284/0.48 वाके ग्राम रूपबास टहला तहसील राजगढ में स्थित है जो आराजी प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की आराजी है। उपरोक्त आराजी में आने जाने का कदमी रास्ता सडक सरकारी टहला बाईपास रोड के तरफ पूर्व को स्थित सिवायचक सरकारी भूमि ख0नं0 272 में होता हुआ उक्त आराजी तक जाता है। जिस रास्ते से प्रार्थीगण आते जाते है व टेक्टर आदि ले जाते है जो रास्ता 30 फुट चौडा है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थीगण की उक्त आराजी मे आने जाने का अन्य कोई रास्ता नही है। अब तहसीलदार राजगढ के अधीनस्थ कर्मचारी पटवारी व कानूनगो रास्ते को बंद करना चाहते है। यदि उनके द्वारा रास्ता बंद कर दिया गया तो प्रार्थीगण को आने जाने की समस्या होगी। इस कारण रास्ता का निर्धारण कराया जाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण न्यायालय के निर्धारण अनुसार जितनी भूमि में होकर रास्ता कायम किया जावेगा। उस भूमि की कीमत अदा करने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर हाल आराजी ख0नं0 ख0नं0 283/1.64, 284/0.48 वाके ग्राम रूपबास टहला तहसील राजगढ में आने जाने के लिये सडक सरकारी टहला बाई पास रोड से तरफ पूर्व को स्थित सिवायचक भूमि ख0नं0 272 वाके रूपबास टहला में होकर 30 फुट चौडा रास्ता निर्धारण करने का निवेदन किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार राजगढ से जॉच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार रजगढ द्वारा उनके पत्र संख्या 1224 दिनांक 10.07.2018 के द्वारा जॉच रिपोर्ट पेंश कर अवगत कराया की आराजी ख0नं0 283/1.64 हैक्ट0 वाके ग्राम रूपबास के तरूण वशिष्ठ पुत्र दयानन्द वशिष्ठ हिस्सा 25/164 जाति ब्राहमण, धर्मसिंह पुत्र गोपीराम हिस्सा 1/8 जाति मीना, बाबूलाल पुत्र रामकिशन हिस्सा 1/8 जाति मीना, संदीप देशवाल पुत्र ईश्वर सिंह देशवाल हिस्सा 49/82 तथा ख0नं0 284/0.48 धर्मसिंह पुत्र गोपीराम हिस्सा 1/8, बाबूलाल पुत्र रामकिशन हिस्सा 1/8, संदीप देशवाल पुत्र ईश्वर सिंह देशवाल हिस्सा 3/4 जाति जाट दर्ज रिकार्ड है। उक्त खातेदारी की आराजी ख0नं0 283 व 284 में आने जाने हेतु राजस्व रिकार्ड व नक्शे में रास्ता दर्ज नही है। वर्तमान में उक्त खातेदारी की आराजी से लगते हुये सिवायचक आराजी ख0नं0 272 में से रास्ता मौके पर बना हुआ है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड आराजी ख0नं0 272/32.77 किस्म गै0मु0 पहाड सिवायचक बिना लगानी दर्ज रिकार्ड है। ग्राम तालाब से टहला को जाने वाले बाई पास सडक मार्ग स्टेट हाईवें से उक्त सिवायचक ख0नं0 272 मे से रास्ता उक्त खातेदारी ख0नं0 284 तक जाता है। प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। स्टेट हाईवें में उक्त खातेदारी आराजी तक जाने वाले रास्ते की लम्बाई 40 मीटर तथा प्रार्थी द्वारा 9 मीटर (30 फुट) चौडा रास्ता चाहा गया है। अन्य रास्ते की लम्बाई 40 मीटर व चौडाई 9 मीटर कुल क्षेत्रफल 360 वर्गमीटर बनता है रिपोर्ट पेंश की गइ।

प्रकरण में अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा भी मौका निरीक्षण किया गया। प्रकरण में तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ से प्रस्तावित रास्ते की भूमि की कीमत हेतु गणना कराई जाकर रिपोर्ट तलब की गई। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ द्वारा रास्ते में आने वाली कुल भूमि 360 वर्गमीटर (40 मीटर लम्बाई व 9 मीटर चौडाई) की कीमत डीएलसी0 दर की दुगुना जमायोग राशि 62985/– रू0 होना अवगत कराया।

प्रार्थी स्वंय उपस्थित उसके द्वारा प्रकरण की सुनवाई की जाकर निर्णय करने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये व तहसीलदार राजगढ की जॉच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। तथा मुताबिक तहसील राजस्व लेखाकार की गणना के अनुसार भूमि की कीमत जमा कराने पर को भी तैयार होने की सहमति दी।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। जैसा की प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में कथन रहा है कि हाल आराजी ख0नं0 283/1.64, 284/0.48 वाके ग्राम रूपबास टहला तहसील राजगढ में स्थित है जो आराजी उनकी खातेदारी में है। जिसकी पुष्टि प्रस्तुत जमाबंदी 2070–75 खाता संख्या 118 व 117 में दर्ज है। प्रार्थी का कथन रहा है कि उक्त आराजी पर आने जाने के लिये राजस्व रिकार्ड में व नक्शे में रास्ता नही है। तथा वो सरकारी सडक टहला बाई पास रोड से तरफ पूर्व को स्थित सिवायचक भूमि ख0नं0 272 वाके ग्राम रूपबास टहला में होकर आते जाते है। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की आराजी में आवागमन हेतु उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी नही है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार राजगढ में जॉच रिपोर्ट से भी होती है तथा मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2070–75 के खाता संख्या 1 में अंकितानुसार आराजी ख0नं0 272/32.77 वाके रूपबास सिवायचक किस्म गै0मु0 पहाड दर्ज रिकार्ड है। जैसा की प्रार्थीगण द्वारा मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजगढ के अनुसार प्रस्तावित रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि (40 मीटर लम्बई व 9 मीटर चौडाई) कुल क्षेत्रफल 360 वर्ग मीटर की कीमत तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ की गणना के अनुसार जमायोग राशि 62985/– रू0 जरिये चालान संख्या 319 दिनांक 28.02.2019 के द्वारा जमा राजाकोष भी कराई जा चुकी है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व तहसीलदार राजगढ की रिपोर्ट से यह तथ्य साबित है कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी की आराजी मे आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी पर आने जाने हेतु तहसीलदार राजगढ की रिपोर्ट के अनुसार ख0नं0 272 वाके रूपबास से रास्ता का निर्धारण किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 ए राज0 काश्तकारी अधिनियम हाल आराजी ख0नं0 283/1.64 हैक्ट. 284/0.48 हैक्ट. वाके ग्राम रूपबास टहला तहसील राजगढ मे आने जाने के लिये सडक सरकारी टहला बाईपास रोड से तरफ पूर्व को स्थित ख0नं0 272/32.77 सिवायचक गै0मु0 पहाड वाके रूपबास टहला तहसील राजगढ में से (40 मीटर लम्बाई व 9 मीटर चौडाई) कुल क्षेत्रफल 360 वर्गमीटर रास्ते बाबत निम्न शर्तो के अधीन स्वीकार किया जाता है की :– (1) रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता के रूप मे होगा। (2) रास्ता का उपयोग सार्वजनिक होगा।

निर्णय आज दिनांक 01.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)